FORM NO- 10

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

कोषाधिकारी सीकर बनाम नीतादेवी वगै0

किस्म मुकदमाः– पीडीआर.एक्ट मु0न0– 08/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर वतारीख अहकामजो इस हुक्मकी तामील में जारी हुए
19.12.2019	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि कोषाधिकारी सीकर के द्वारा श्रीमती नीतादेवी पत्नी श्री तेजपाल सैनी व श्री तेजपाल सैनी पुत्र श्री मदनलाल सैनी निवासीगण राधाकिशनपुरा, ऑयल मिल के सामने, सीकर के विरूद्व अल्प बचत की राशि 1,53,838/– रूपये अवधि वर्ष 1999–2000 की वसूली पी.डी.आर. के तहत किये जाने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में भिजवाया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की और से उक्त राशि बकाया नहीं होने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज ना तो प्रस्तुत किया गया एवं इस सम्बंध में ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित किया जा सके कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बकाया राशि जमा करवाई जा चुकी है। अतः बाकीदार श्रीमती नीतादेवी पत्नी श्री तेजपाल सैनी व श्री तेजपाल सैनी पुत्र श्री मदनलाल सैनी निवासीगण राधाकिशनपुरा, ऑयल मिल के सामने, सीकर से मूल बकाया राशि 1,53,838/– रूपये अंकेही एक लाख तिरेपन हजार आठ सौ अड़तीस रूपये मात्र वर्ष 1999–2000 से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं पी. डी.आर.एक्ट की धारा 14 के तहत इस संदर्भ में बने नियम 12 ए के तहत कोस्ट (वसूली चार्जेज) 10 प्रतिशत से 15,384/– रूपये अंकेही पन्द्रह हजार तीन सौ चौरासी रूपये मात्र वसूल किये जाने के आदेश दिये जाकर वसूली हेतु सर्टिफिकेट स्वीकार नियम 4 के अन्तर्गत वसूली हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जावे। उक्त सर्टिफिकेट स्वीकार नियम 4 उपखण्ड अधिकारी, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि एल.आर.एक्ट की धाराओं के तहत नियमानुसार वसूली की जाकर सम्बंधित विभाग में जमा करवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। 19/12/19 अति० जिला कलक्टर, सीकर	